भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2248

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय

2248. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की सुनवाई के लिए देश भर में अब तक कितने नए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं ;

(ख) न्यायालयों में दर्ज मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं ;

(ग) क्या सरकार महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने की योजना बना रही है ताकि उन्हें उनके विरुद्ध किए गए अपराध मे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सरकार ने बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए अक्टूबर 2019 से केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित की जानी है। 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 728 एफटीएससी प्रचालित किए गए हैं। देश में कार्यरत एफटीएससी का राज्य-वार विवरण और इन न्यायालयों में रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या **"उपाबंध"** में दी गई है।

(ग) और (घ) : न्याय विभाग (डीओजे) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) महिलाओं और बालकों के लिए विधिक सहायता के बारे में विधिक

जागरूकता पैदा करने के लिए सामूहिक रूप से विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। डीओजे अपने डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशंस फोर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा) योजना के माध्यम से महिलाओं और बालकों सहित वंचित वर्गों के लिए अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नालसा ने विधि के उपबंधो के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन 10 स्कीम तैयार की हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधिक और सरकारी योजनाओं के अधीन लोगों को उनके अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी चला रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है ;

वर्ष	2021-22	2022-23 (जून,22 तक)
कार्यक्रम आयोजित	1134086	92288
व्यक्तियों ने भाग लिया	58,41,26,827	55,58,053

****

उपाबंध

30.06.2022 की स्थिति के अनुसार पॉक्सो न्यायालयों सहित क्रियाशील एफटीएससी के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- ब्यौरे

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	क्रियाशील एफटीएससी		30.06.2022 को रजिस्ट्रीकृत मामले	
		ईपॉक्सो सहित एफटीएससी	ईपॉक्सो	एफटीएससी	ईपॉक्सो
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	12	12	6551	6383
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	17	17	0	3984
5	बिहार	45	45	0	15014
6	चंडीगढ़	1	0	239	0
7	छत्तीसगढ	15	11	671	2102
8	दिल्ली	16	11	3201	4625
9	गोवा	1	1	0	64
10	गुजरात	35	24	1528	7147
11	हरियाणा	16	12	1047	3178
12	हिमाचल प्रदेश	6	3	528	982
13	जम्मू-कश्मीर	4	2	216	196
14	झारखंड	22	16	1317	3493
15	कर्नाटक	25	17	2173	3308
16	केरल	28	14	4308	2931
17	मध्य प्रदेश	67	57	2335	11878
18	महाराष्ट्र	39	21	4345	4394
19	मणिपुर	2	0	145	0
20	मेघालय	5	5	0	1029
21	मिजोरम	3	1	40	27
22	नागालैंड	1	0	53	0
23	उड़ीसा	36	15	4115	6030
24	पंजाब	12	3	1319	675
25	राजस्थान	45	30	1598	6035
26	तमिलनाडु	14	14	0	5530
27	तेलंगाना	36	2	7772	358
28	त्रिपुरा	3	1	205	134
29	उत्तर प्रदेश	218	74	30791	44893
30	उत्तराखंड	4	0	866	0
31	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0
कुल		**728**	**408**	**75363**	**134390**

****